

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक: F-109(8)/SIHFW/MH-Recruit/FHW/2023/7091-96

दिनांक : 5/8/2025

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक जिनका अंतिम चयन नहीं किये जाने के संबंध में संस्थान के आदेश क्रमांक 109(8)sihfw/MH-Recrut/FHW/2025/6502-07 दिनांक 16.7.2025 के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को 07 दिवस में चयन नहीं किये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर एवं शेष अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने के उपरान्त भी परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक नहीं मानते हुए, निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में किया गया अन्तिम चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है—

S.NO.	Applicant Name	Application ID	Date of Birth	Father's Name	Category	अंतिम चयन नहीं किये जाने का कारण
1	VANDANA PATIDAR	HWT127403	21-03-1991	MANGALJI PATIDAR	TSP-GEN (UNRESERVED) /	अभ्यर्थिया द्वारा ऑन लाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 438 दिनांक 22.1.2023 निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने संबंधी प्रकरणों डीबी याचिका सं. 351/2020 संतोष चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं 1660/2018 कविता पंवार बनाम राज्य सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.940 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
2	JOSHI VARSHA	HWT123021	6/6/1993	DAYARAM	TSP-GEN (UNRESERVED) /	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्रांक 5864 दिनांक 21.10.2024 के अनुसार अभ्यर्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुभव का लाभ नहीं लेने हेतु निवेदन किया है। अतः सीएमएचओ उदयपुर द्वारा पत्रावली निरस्त किये जाने बाबत लिखा गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है, बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.186 प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
3	NARAYANI KUMARI MEENA	HWT116533	4/10/1988	DAIYA MEENA	TSP-ST /	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट दिनांक

92

Phone (O) 0141-2701938 Telefax(Dir) : 2706534

www.sihfwrajasthan.com E-mail: sihfwraj@gmail.com

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						07.09.2024 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता काइफोस्कोलिओसिस 20 प्रतिशत दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
4	KIRAN BALA LABANA	HWT108476	07-07-1992	DALIRAM LABANA	TSP-GEN (UNRESERVED) /	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की जाँच रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता सीटीईबी 30 प्रतिशत दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
5	RAKMESH WARI MAIDA	HWT127260	5/1/1992	DHARJI	TSP-ST /	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की जाँच रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता वन लेग 5 प्रतिशत दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
6	SUMAN	HWT111403	06-07-1995	HARPAL SINGH	TSP-GEN (UNRESERVED) /	राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पत्रांक 9059 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अभ्यर्थिया का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण नही होने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया का आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन नही होने के कारण अभ्यर्थिया अपात्र होने के कारण चयन नही किया जा सकता है।
7	POONAM UPADHYA Y	HWT119842	04-02-1986	JAYANTI LAL UPADHYAY	TSP-GEN (UNRESERVED) /	राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पत्रांक 9059 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अभ्यर्थिया का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण नही होने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया का आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन नही होने के कारण अभ्यर्थिया अपात्र होने के कारण चयन नही किया जा सकता है।

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

8	BINDIYA KUMARI ROAT	HWT120268	30-08-1978	BHANVAR LAL ROAT	TSP-ST / -	राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पत्रांक 9059 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अभ्यर्थिया का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण नही होने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया का आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन नही होने के कारण अभ्यर्थिया अपात्र होने के कारण चयन नही किया जा सकता है।
9	SUREKHA MEENA	HWN118625	8/15/1997	HAJARI LAL MEENA	ST/	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर पीएमओ दौसा के अधीन डायलीसिस नर्स के पद पर कार्यरत होने के कारण जिसका कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होने से बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायलय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19, जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है, की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.358 प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
10	VIMLA	HWN129064	7/13/1990	VEERCHAND	OBC-NCL/--	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 108 एम्बुलेन्स पर एएनएम कार्यरत होने के कारण बोनस शून्य किया गया है। 108 एम्बुलेन्स पर एएनएम लगाये जाने हेतु राज्य सरकार का प्रावधान नहीं है एवं एएनएम का कार्य भी ईएमटी के समान नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायलय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19, जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है, की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन नही किया जा सकता है।
11	BHANVARI	HWN127317	10-06-1995	LACHHA RAM	OBC-NCL/--	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर हैल्पर पद का

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						अनुभव होने के कारण बोनस शून्य किया गया। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19, जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है, की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
12	RAHISHA	HWN119707	8/7/1992	BHANWAR DEEN	OBC-NCL/--	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरु के पत्रांक 1265 दिनांक 17.10.2024 के द्वारा अभ्यर्थिया का चयन शिक्षक ग्रेड तृतीय पर हो जाने के कारण सीएमएचओ द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त करने बाबत लिखा गया है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
13	ANITA	HWN127488	02-04-1987	SHIV PAL SINGH	OBC-NCL/--	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने अपने पत्रांक 2881 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.317 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
14	LEELA GODARA	HWN128958	12/20/1995	JETHA RAM GODARA	OBC-NCL/--	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरु ने अपने पत्रांक 1266 दिनांक 17.10.2024 के द्वारा पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन में दिनांक 12.05.2022 से 18.05.2023 तक की अनुभव अवधि सत्यापित होने के कारण 10 प्रतिशत बोनस अंक देय है। इस प्रकार 10 बोनस अंको सहित अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 59.658 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
15	MEENU	HWN119686	12/16/1994	PURN RAM	OBC-NCL/--	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 723 दिवस का अनुभव सत्यापित होने के कारण 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 57.250 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
16	LALITA	HWN123712	4/1/1990	RAM BABU	OBC-NCL/--	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन में 595 दिवस का भुगतान होने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन में 595 दिवस का अनुभव सत्यापित किया गया है। जिसके अनुसार 10 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.233 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
17	NIKITA CHOUDHARY	HWN119618	6/26/1992	HARIRAM CHOUDHARY	OBC-NCL/--	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को नियमानुसार दिनांक 12.10.21 से दिनांक 30.4.2023 तक के अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंक ही देय है। शेष अवधि 344 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1169 दिनांक 7.6.2023 बाल अधिकारिता विभाग का/द्वारा जारी किए जाने के कारण विज्ञप्ति में अंकित शर्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं होने से बोनस अंक देय नहीं है। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र नही होने संबंधी प्रकरणों डीबी याचिका सं. 351/2020 संतोष चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं 1660/2018 कविता पंवार बनाम राज्य सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.133 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

18	BEBI	HWN121332	6/26/1995	RAGHUVeer SINGH	OBC-NCL/--	स्थान बनाने में सफल नहीं रही है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 3774 दिनांक 12.6.2023 के पुनर्सत्यापन में 525 दिवस का भुगतान होने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा 525 दिवस का ही अनुभव सत्यापित किया गया है। अतः 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.400 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
19	SUNITA	HWN119129	10/8/1991	GIRDHARI LAL BENIWAL	OBC-NCL/--	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्रांक 2880 दिनांक 21.10.24 के द्वारा पूर्व में जारी किया गया 515 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 13.6.2023 निरस्त किया गया है तथा अन्य अनुभव अवधि दिनांक 01.02.2021 से 25.10.2021 (267 दिवस) कोविड अवधि के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.370 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
20	GAYATRI	HWN127162	30-07-1996	MEGH SINGH	OBC-NCL/--	नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कौंसिल रजिस्ट्रेशन से पूर्व किए गए कार्य के अनुभव का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः आरएनसी रजिस्ट्रेशन दिनांक 16.7.2018 से पूर्व किए गए कार्य के अनुभव की गणना नहीं किए जाने के कारण केवल 20 बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.208 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
21	MANOJ KUMARI	HWN124282	10-01-1990	ATAR SINGH	OBC-NCL/--	नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कौंसिलरजिस्ट्रेशन से पूर्व किए गए कार्य के अनुभव का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अतः आरएनसी रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.7.2018 से पूर्व किए गए कार्य के अनुभव की

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						गणना नहीं किए जाने के कारण केवल 20 बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.320 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में स्थान बनाने में सफल नहीं रही है।
22	ANITA	HWN112302	1/5/1985	PHOOL CHAND	OBC-NCL/--	अभ्यर्थिया का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र में अन्य आईडी क्रमांक 114155 पर किया जा चुका है। अतः अभ्यर्थिया के प्रार्थना पत्र अनुसार आईडी संख्या 112302 पर अभ्यर्थिया का चयन निरस्त किया गया है।
23	HANSA GURJAR	HWN128265	05-10-2002	JAGDISH PRASAD GURJAR	MBC-NCL/ --	जम्मू कश्मीर कौंसिल के पत्रांक 1355 दिनांक 14.1.2025 के अनुसार अभ्यर्थिया की अंकतालिकाएं जम्मू कश्मीर कौंसिल द्वारा जारी नहीं की गई है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं को मान्य नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अभ्यर्थिया का चयन इस भर्ती में किया जाना संभव नहीं है।
24	POOJA KUMARI VERMA	HWN101742	5/29/1999	DURGA PRSAD VERMA	SC/	अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया था जबकि अभ्यर्थिया का चयन सहवनवश दिव्यांग श्रेणी में रोक दिया गया है अभ्यर्थिया उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग हेतु पात्रता नहीं रखती। अभ्यर्थिया के प्रतिशत प्राप्तांक उनके जाति वर्ग से कम होने के कारण अंतिम चयन नहीं किया जा सकता।
25	JAIMALA	HWN119585	2/2/2001	MOOL CHAND	SC/	राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पत्रांक 9059 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अभ्यर्थिया का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया का आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया अपात्र होने के कारण चयन से वंचित रही है।
26	KM LILAWATI	HWN111308	8/8/1982	DUJLI CHANDRA	GEN (UNRESERVED)/	राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पत्रांक 9059 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अभ्यर्थिया का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया का आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया अपात्र होने के कारण चयन से वंचित रही है।
27	MANJU	HWN123249	12/10/1994	OMKARLAL	GEN (UNRESERVED)/	अभ्यर्थी ने परिवेदना के संलग्नक में माननीय न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						17/2025 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2025 की प्रति संलग्न कर रजिस्ट्रेशन के पहले के अनुभव की गणना करने हेतु निवेदन किया है। माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय को याचिका संख्या 10256/2024 अर्जुन सैन बनाम सरकार के प्रकरण से कवर कर निर्णित किया है। अर्जुन सैन के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपील दायर की जा चुकी है। अतः प्रकरण को राज्य सरकार के स्तर पर निर्णित करा तदनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
28	SARITA KUMARI	HWN111298	3/15/1984	KISHAN LAL	EWS/	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 252 दिनांक 18.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की मूल निवासी नहीं होकर अन्य राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग से है। अतः ईडब्ल्यूएस वर्ग का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
29	SUMITRA KUMARI KHARADI	HWN113489	2/1/1994	KALURAM KHARADI	ST/	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.1.2021 के अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद अभ्यर्थिया की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु पात्र नहीं होने से पूर्व में ही टीएसपी की आईडी HWT113447 पर अपात्र माना जा चुका है। अतः चयन किया जाना संभव नहीं है।
30	POONAM YADAV	HWN104171	8/10/1991	RATI RAM	OBC-NCL/--	दिव्यांगजन बोर्ड, सवाई मानसिंह चिकित्सालय की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी दिव्यांगता परीक्षण में अनुपस्थित रही है। नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त की गई है।
31	SANTOSH BISHNOI	HWN130796	12/19/1994	SAD RAM BISHNOI	OBC-NCL/--	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की जाँच रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता वन लेग 9. प्रतिशत दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

32	RAKMESH WARI MAIDA	HWN127359	5/1/1992	DHARJI	ST /	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की जाँच रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता वन लेग 5 प्रतिशत दिव्यांग श्रेणी में नहीं होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है जिसके उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
----	--------------------------	-----------	----------	--------	------	--

Antim
निदेशक

राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
जयपुर।

क्रमांक: F-109(8)/SIHFW/MH-Recruit/FHW/2023/ 7091-96

दिनांक : 5/8/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

Antim
निदेशक

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर।